



क्रमांक 654/परीक्षा/2025

बिलासपुर, दिनांक 27/01/2025

### कार्यालयीय ज्ञाप

विभिन्न अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों (अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला को छोड़कर) की षष्ठम, अष्टम एवं दशम सेमेस्टर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के अंतर्गत संचालित द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2024-25 की मुख्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन माध्यम से विषय का चुनाव करने हेतु तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं:-

स्नातक पाठ्यक्रमों की षष्ठम, अष्टम एवं दशम सेमेस्टर के लिए -

| विवरण                            | तिथियां                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| विषय चयन हेतु निर्धारित अवधि     | दिनांक 29/01/2025 से दिनांक 07/02/2025 |
| चयनित विषयों में सुधार हेतु अवधि | दिनांक 08/02/2025 से दिनांक 11/02/2025 |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के अंतर्गत संचालित द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए :-

| विवरण                            | तिथियां                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| विषय चयन हेतु निर्धारित अवधि     | दिनांक 01/02/2025 से दिनांक 07/02/2025 |
| चयनित विषयों में सुधार हेतु अवधि | दिनांक 08/02/2025 से दिनांक 11/02/2025 |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) के अंतर्गत अध्ययनरत द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं के लिए निर्देश :-

विषय चयन से पूर्व निम्नलिखित विषय/वैकल्पिक विषय चयन का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकार के विषय का चयन कर सबमिट करें।

| II Semester                        | IV Semester            |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Major - 1 Paper                 | 1. Major - 3 Paper     |
| 2. Minor - 1 Paper / VOC - 1 Paper | 2. Minor/VOC - 1 Paper |
| 3. MDC - 1 Paper                   | 3. AEC - 1 Paper       |
| 4. AEC - 1 Paper                   | Total - 5 Paper        |
| 5. SEC - 1 Paper                   |                        |
| 6. VAC - 2 Paper                   |                        |
| Total - 7 Paper                    |                        |

उपरोक्त टेबल में कौन से समूह से कितना विषय का चयन किया जाना है, छात्रों के लिए विषय चयन में सुविधा हेतु उल्लेख किया गया है।

टीप:-

1. निर्धारित समय के पश्चात विषय चयन संबंधी किसी भी प्रकार का सुधार संबंधित विभागाध्यक्ष एवं संबंधित संकायाध्यक्ष के लिखित अनुशंसा पर निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ ही हो सकेगी।
2. निर्धारित समय-सीमा में विषय चयन नहीं करने की स्थिति में विभागाध्यक्ष, छात्रों को कक्षा से वंचित कर सकते हैं, जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार,

*[Signature]*  
27-01-2025

परीक्षा नियंत्रक

निरंतर.....(02)

// 02 //

पृ.क्रमांक 655 / परीक्षा / 2025

बिलासपुर, दिनांक 27/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति एवं कुलसचिव जी के निज सचिव/शीघ्रलेखक की ओर मा. कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, समस्त अध्ययन शाला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. विभागाध्यक्ष समस्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) एवं MOOCS की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक कुलसचिव, अकादमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. वेबसाइट प्रभारी, परीक्षा विभाग की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
 सहायक कुलसचिव (परीक्षा)  
